राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–8)
(दूरभाष 0141–2227229, Email-pdre_rdd@yahoo.com)

क्रमांक एफ 7(231)ग्रावि/अनु–8/2013 जयपुर, दिनांक 13/04/2016

बैठक कार्यवाही विवरण

प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की अध्यक्षता में बायोगैस योजना के संचालन के संबंध में निम्न अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया:–

1 शासन सचिव, आयोजना
2 शासन सचिव, वित्त(व्यय)
3 शासन सचिव, ग्रामीण विकास
4 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बायोफ्यूल
5 मुख्य परिचालन प्रबंधक, राजीविका
6 डा0 दीपक शर्मा, नवीकरणीय उर्जा स्त्रोत विभाग, कॉलेज ऑफ टैक्नोलोजी एवं इजिनियरिंग, महाराणा प्रताप यूनीवर्सिटी ऑफ ऐगरीकल्चर एण्ड टैक्नोलोजी उदयपुर।

1. बैठक में सचिव, आयोजना द्वारा सुझाव दिया गया कि इस वर्ष 2016–17 में 5 हजार संयन्त्र लगाने का लक्ष्य रखा जाये। एनजीओ को अनुदान के रूप में दी जाने वाली राशि कम की जाए।
2. बैठक में निर्णय लिया गया कि MNRE, भारत सरकार द्वारा संचालित हो रही योजना National Biogas & Manure Management Programme (NBMMP) की तर्ज पर योजना में निम्न प्रावधान का परिर्वतन किया जाना प्रस्तावित है–
   1 व्यक्तिगत लाभार्थी के लिए अधिकतम अनुदान राशि अनुसूचित जाति व जनजाति लाभार्थी के लिए 11000 रूपये एवं सामान्य वर्ग के लिए रूपयें 9000 रखी जाए।
   2 संस्थागत बायोगैस प्लांट अनुमत नहीं किये जाए।
   3 एनजीओ एवं महिला स्वयं सहायता समूहों के क्लस्टर स्तरीय फैडरेशन के साथ कार्य किया जाए तथा इनकी ग्राण्ट प्रति युनिट 1500 रूपये दी जाए।
   4 राज्य स्तर पर प्रशासनिक व्यय 5000 युनिट के लिए 17.50 लाख रूपये का प्रावधान किया जाना है।
   5 एनजीओ एवं SHG Cluster Level Federation द्वारा 2 वर्ष तक संयन्त्र कार्यरत रखने का प्रावधान किया जाए।
   6 बायोगैस योजना के प्रचार–प्रसार के लिए 4.00 लाख रूपये का प्रावधान है।

7 डा0 दीपक शर्मा ने सुझाव दिया कि एनजीओ को कुल 1500 रूपये में से 1000 रूपये बायोगैस प्लांट प्रारम्भ करने पर एवं 500 रूपये 2 वर्ष पूर्ण होने तक कार्यशील रहने पर दिये जाये।

8 भारत सरकार के प्रावधान अनुसार विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का प्रावधान है जिसमं 50 व्यक्तियों के हितग्राही/लाभार्थी प्रशिक्षण कोर्स पर 3000 रूपये और एनजीओ एवं SHGCLF के स्टाफ के लिए प्रति 10 व्यक्तियों के कोर्स के लिए 10000 रूपये का प्रावधान किया जाए।

9 मैशन के प्रशिक्षण के लिए प्रावधान रखा जाए, जिसके अनुसार एनजीओ एवं SHGCLF द्वारा स्थानीय कारीगरों के प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर समुचित मानव संसाधन की व्यवस्था की जाएगी। इस हेतु 10 दिवसीय तथा 10 प्रशिक्षणार्थियों हेतु प्रति शिविर के लिए रू0 45000 का प्रावधान रखा जाये।

13.4.16
परि.निदे. एवं उप सचिव
(मोएवंमू)
ग्रामीण विकास विभाग

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
2. निजी संचिव, प्रमुख शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, आयोजना विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त विभाग
5. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बायोफ्यूल
7. मुख्य परिचालन प्रबंधक, राजीविका
8. डा0 दीपक शर्मा, नवीकरणीय उर्जा स्त्रोत विभाग, कॉलेज ऑफ टैक्नोलोजी एवं इजिनियरिंग, महाराणा प्रताप यूनीवर्सिटी ऑफ ऐगरीकल्चर एण्ड टैक्नोलोजी उदयपुर।

13.4.16
परि.निदे. एवं उप सचिव(मोएवंमू)
ग्रामीण विकास विभाग